

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शपथ ली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सहि सैनी को वधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने वधायक पद की शपथ दलाई।

मुख्य बद्दि:

मुख्यमंत्री ने पूरव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह लेने के बाद करनाल वधानसभा सीट के लयि [उपचुनाव](#) लड़ा था।

- राज्य की 10 लोकसभा सीटों और करनाल वधानसभा क्षेत्र के लयि [आम चुनाव](#) के छठे चरण में **25 मई 2024** को मतदान हुआ तथा परणाम **4 जून 2024** को घोषति कयि गए थे।

उपचुनाव

- परचिय:**
 - उपचुनाव, जसि [वशेष चुनाव](#) के रूप में भी जाना जाता है, भारत के वधायी नकियायों में रक्ति सीटों को भरने के लयि आयोजति चुनावों को संदर्भति करता है।
 - यह [व्यापक चुनावी चक्र](#) के भीतर एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है और अप्रत्याशति रक्तियों को संबोधति करके नयिमति चुनावों को पूरण करता है।
- उद्देश्य**
 - उपचुनावों का प्राथमकि उद्देश्य रक्ति सीटों की समय पर [फाइलिंग सुनिश्चिति करना](#) है, जसिसे वधायी नकियाय में प्रभावति नरिवाचन क्षेत्र या ज़लि का प्रतनिधित्व हो सके।
- परस्थिति:**
 - उपचुनाव तब आयोजति कयि जाते हैं जब वधायिका में कोई [सीट नलिंबन](#), [इस्तीफे](#), [अयोग्यता](#) या [मौजूदा सदस्य के नषिकासन](#) जैसे कारणों से खाली हो जाती है।
- नरिधारति समय-सीमा**
 - [जन प्रतनिधित्व अधनियम, 1951](#) की धारा 151A नरिवाचनआयोग को [संसद और राज्य वधानमंडलों के सदनों में आकस्मकि रक्तियों की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनावों के माध्यम से भरने हेतु अधदिशति करती है](#), बशरते कि कार्यकाल की शेष अवधि एक वर्ष या उससे अधिक हो।
 - इसलयि यदा [लोक सभा की शेष अवधि सीट खाली होने की तारीख से एक वर्ष से कम है तो उपचुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है](#)।